P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण – दशा एवं दिशा

नीतिका ठोलिया
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान

सारांश

सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो कि महिलाओं में इतनी जागरूकता लाती है कि वह शक्ति को प्राप्त करें एवं उसमें सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता विकसित हो सके, यह उन्हें अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है तथा घर एवं बाहर के निर्णयों में उसकी भागीदारी को बढ़ाती है, यह शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देती है, यह पुरूष संप्रभुता के स्थान पर महिला संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि समानता के आधार पर एक सामंजस्यपूर्ण भागीदारी की मांग है जो कि संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को सम्भव बनाती है, सशक्तिकरण का आशय सिर्फ शक्ति का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाता है, महिलाओं को परावलम्बन की भावना से मुक्त करना, उनकी हीन भावना को समाप्त करना ही सशक्तिकरण है, महिला को हाशिए से हटाकर समाज की मुख्य धारा में लाना एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना सशक्तिकरण है, यदि समाज में नारी भयमुक्त हो, अथवा सम्मान खोए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसकी इच्छा अनिच्छा की परिवार एवं समाज के स्तर पर कद्र की जाए, उसे अपनी वाजिब हक मिले, देश की प्रगति में इसका पर्याप्त योगदान हो, तो हम कह सकेंगे कि महिला सशक्त हो गई है, सबलता एवं सुयोग्यता नारी सशक्तिकरण की प्रमुख पहचान है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, दशा एवं दिशा

प्रस्तावना

किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है, यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है, तो समाज भी सुदृढ़ एवं मजबूत होगा, यदि महिलाओं की स्थिति को भारतीय संदर्भ में देखें, तो हम पाते हैं कि प्राचीनकाल में समाज में उसकी स्थिति काफी अच्छी थी, सभी सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता थी, धीरे–धीरे उसकी स्थिति में ह्रास हुआ और आज स्थिति यह है कि हम महिला सशक्तिकरण की चर्चा कर रहे हैं।1

गांधीजी का कहना था कि नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है, उसमें पशुबल का पूर्णतया अभाव है, दीन हीन भाव के कारण उसे अबला नहीं कहा जा सकता है, नारी स्वयं ही शक्ति–स्वरूपिणी है, आवश्यकता है, उसे केवल पहचानने की एवं सामाजिक रूप स्वीकृत करने की, चाहे वह देवलोक की शक्ति देवी दुर्गा हो या आज की इंदिरा, दुर्गावती हो या चांदबीबी सभी ने अपने अन्दर की सुषुप्त नारी को जगाया एवं नई मंजिलें हासिल की।

महिला विकास की वर्तमान स्थिति

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'बच्चे भारत की शक्ति' नामक पत्रिका में बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख 25 हजार महिलाएं गर्भधारण के कारण से मौत का शिकार हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां जन्म लेती हैं, लेकिन इनमें से 30 प्रतिशत लड़कियां अपना 15वां जन्म दिन भी नहीं देख पाती हैं, 72 प्रतिशत गर्भवती ग्रामीण महिलाएं निरक्षर हैं, कक्षा एक में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक 10 लड़कियों में केवल 6 लड़कियां ही पांचवीं कक्षा तक पहुंचती है।2

स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हमारी कामकाजी जनसंख्या में से 70 प्रतिशत महिलाएं अकुशल कार्यों में लगी हैं तथा उसी हिसाब से मजदूरी प्राप्त कर रही हैं, इसके अतिरिक्त महिलाओं के कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनकी गिनती नहीं होती, जैसे – खाना–बनाना, घर की सफाई, बच्चे के पालन–पोषण आदि ऐसे अनगिनत कार्य हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, महिलाएं एक दिन में पुरूषों से 6 घण्टे ज्यादा कार्य करती हैं, इतना सब कुछ करने और सहने के

बाद भी उसे महत्वहीन समझा जाता है, वर्तमान दुनिया में काम के घण्टों में 60 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान स्त्रियां करती हैं, वे सिर्फ 1 प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक हैं, 50 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, अन्तर संसदीय परिषद् द्वारा 1996 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 100 देशों में 10 प्रतिशत राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व ही महिलाएं करती है, विकसित देशों की प्रजातांत्रिक संस्थाओं में भी महिलाओं का उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है।

महिलाओं पर अत्याचार एवं हिंसा सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रति 23 मिनट में अपहरण, प्रति 26 मिनट में उत्पीड़न, प्रति 42 मिनट में दहेज बलि, प्रति 54 मिनट में बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलें उत्तर प्रदेश (13.3 प्रतिशत) का स्थान देश में सर्वोपरि है, यदि देश में स्त्री–पुरूष साक्षरता एवं लैंगिक अनुपात को देखें, तो भी एक स्याह् तस्वीर उभरती हैं, देश में स्त्रियों के प्रति बढ़ रहें हिंसा एवं अपराध के कारण में जाति, वर्ग, धर्म समुदाय, पारिवारिक संरचना, विवाह पद्धति, नातेदारी, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, आधुनिकीकरण, बढ़ता उपभोक्तावाद आदि प्रमुख है।

महिला विकास हेतु सुधारात्मक कदम

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 55 में कहा गया है कि "Universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, for all without distiction as to race, sex, language or religion." इसी वैश्विक भावना के साथ स्वतंत्रता बाद भारत के संविधान में स्त्री–पुरूष समानता (अनु–14) की चर्चा की गई, 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम, 1954 के विशेष विवाह अधिनियम, 1956 के पुनर्विवाह अधिनियम, 1956 में पारित हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के द्वारा जहां नारी को सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए वहीं 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा उसे सम्पत्ति अधिकार प्रदान किया गया, फैक्ट्री अधिनियम 1948 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा उसके आर्थिक अधिकारों के साथ–साथ सम्मान को सुरक्षा प्रदान की गई, शिक्षित एवं अशिक्षित सभी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है, इसके अतिरिक्त दहेज निषेध एक्ट 1961, प्रसूति लाभ एक्ट 1961 एवं अश्लील चित्रण निवारण एक्ट 1986 भी पारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई, 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास को महत्व दिया गया। भारत सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया।

इतने प्रयासों के बाद भी स्त्रियों की दशा शोचनीय है, लड़की आज भी अनचाही संतान है, यही पसंदगी या नापसंदगी लैंगिक भेदभाव का कारण है, जो परिवार के स्तर से आरम्भ होती है एवं महिलाओं के प्रति हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें पुरूषों के समान अधिकार एवं स्वतंत्रता का उपभोग करने से बाधित करती है। सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता, कहा जा सकता है कि अकुशल प्रबन्धन के साथ–साथ समाज भी महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए उत्तरदायी है।[3] आज महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण व नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

शासन व्यवस्था में भागीदारी

महिलाएं वर्तमान में समाज सुधार, शासन–संचालन, सैन्य–व्यवस्था, रेलयान, विमान चालन इत्यादि सभी क्षेत्रों में बखूबी स्वकर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक के उत्तरार्द्ध में देश के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) पर आसीन होकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने विश्व मानव समाज के समक्ष भारतीय नारियों का गौरव बढ़ाया है, आज इनकी वीरता, बुद्धिजीविता, राज–व्यवस्थापन, समाज–सुधार का कार्य पुरूषों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है।

लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली के साथ–साथ भारत एक गणराज्य भी है और राज्य शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदात्मक है, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में महिलाओं की भागीदारी सम्प्रति राजनीतिक दलों की महिलाओं के प्रति इस अर्थ में संवेदनशीलता पर निर्भर है, आम चुनावों में महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक दलों की आम सहमति न बन पाने के कारण या फिर महिला सशक्तिकरण व अधिकारिता के सन्दर्भ में पुरूष समाज की उदासीनता के चलते शासन में स्त्रियों की भागीदारी समुचित नहीं हैं।

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2010 को संसद एवं विधानसभाओं मे महिलाओं की 33 प्रतिशत राजनैतिक भागीदारी के लिए ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा मे भारी बहुमत से पारित हो गया। इसके पक्ष मे 186 वोट पड़े जबकि सिर्फ एक सांसद ने इसके खिलाफ मत दिया। यह विधेयक पिछले 14 वर्षो से लंबित था और राजनीतिक गतिरोध के कारण इस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब इस विधेयक को मूर्त रूप देने के लिए लोकसभा से पारित कराना है जिस हेतु कई बार प्रयास हुए परन्तु राजनैतिक पार्टियों की इच्छाशक्ति के अभाव मे अभी तक यह बिल पारित नहीं हो सका है। इस बिल को कम से कम 20 राज्यों की विधानसभाओं मे भी पारित कराया जाना है। निश्चिय इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद महिलाओं के लिए नये आयाम स्थापित होंगे तथा देश की महिलाओं मे सही मायने मे लोकतान्त्रिक संस्थाओं मे प्रतिनिधित्व हो पायेगा।[4]

पंचायती–राज व्यवस्था में भागीदारी

भारतीय महिलाओं की आधिकारिक प्रस्थिति को ऊंचा उठाने, उनके सामाजिक एवं पारिवारिक जीवनस्तर को आदर्श स्वरूप देने, जागरूकता, साक्षरता आदि में वृद्धि करने के उद्देश्य से शासन की सबसे छोटी इकाई में भागीदार किया गया, जैसा कि अनु 243 घ (1) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे साथ ही प्रत्येक पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये

स्थानों की कुल संख्या का 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।[5]

राज्य विधान मण्डलों में भागीदारी

भारत में शासन के संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है, राज्य स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत् विधान मण्डल के तीन अंग–राज्यपाल (राज्य कार्यपालिका का प्रधान), विधान सभा तथा किन्हीं–किन्हीं राज्यों में विधान परिषद् का प्रावधान है। इसमें विधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य तथा विधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य तथा विधान सभायी क्षेत्र विशेष के मतदाताओं (18 वर्ष या उससे ऊपर के) द्वारा किया जाता है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए अभी तक संवैधानिक तौर पर कोई अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गई है। महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति को मजबूत स्थिति में पहुंचाने तथा उन्हें स्वयं के हित साधनों के लिए संसद तथा राज्य विधानमण्डलों में 'महिला आरक्षण' की आवश्यकता है।

राज्य स्तर पर सुश्री ममता बनर्जी (पश्चिमी बंगाल), सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश), श्रीमती राबड़ी देवी (बिहार), श्रीमती सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), सुश्री जयललिता (तमिलनाडु), सुश्री उमा भारती (मध्य प्रदेश), श्रीमती वसुन्धरा राजे (राजस्थान) आदि द्वारा मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हुए स्वयं की राजनीतिक क्षमताओं का परिचय दिया है, फिर भी वर्तमान में राज्य विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर सन्तोषजनक नहीं है।

राज्य कार्यपालिका प्रधान के रूप में महिलाएं

राज्य कार्यपालिका प्रधान (राज्यपाल) के रूप में प्रथमतः श्रीमती सरोजिनी नायडू (15.01.1947 से 02.03. 1949 तक) को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनकर अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन रही श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल थी। इसी प्रकार श्रीमती सरला ग्रेवाल 31 मार्च, 1989 से 6 फरवरी, 1990 के बीच मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहीं, श्रीमती कमला गुजरात की राज्यपाल पद पर आसीन रही, श्रीमती आन्नदी बेन पटेल मध्य प्रदेश, श्रीमती मृदुला सिन्हा गोवा तथा श्रीमती नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर की राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है फिर भी महिलाओं की नियुक्ति कमतर ही रही है।

भारत सरकार के तीनों अंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका) में स्त्रियों की भागीदारी, उनकी साक्षरता एवं शैक्षिक उपलब्धि साथ ही नारी जागरण के प्रति पुरूषों एवं महिलाओं की बढ़ती रूचि के चलते बढ़ी है, केन्द्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों, राज्य सभा व लोक सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में समय–समय पर उतार–चढ़ाव की स्थिति रही है।

लोकसभा में प्रतिनिधित्व

संघीय व्यवस्थापिका के प्रथम या निम्न सदन अर्थात् लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा की कुल संख्या 552 से अधिक नहीं होगी, वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 हैं, इनमे दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होंगे।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम सबसे प्रभावशाली महिला श्रीमती इन्दिरा गांधी (1917–1984) देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री में रूप में 24 जनवरी, 1966 को पदासीन हुई, अदम्य साहस की धनी इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण पहचान बनाई। इनके व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों से भारतीय नारियों को स्वयं का राजनीतिक–पथ प्रशस्त करने का अवसर मिला। 1952 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2014 तक के चुनावों में प्राप्त महिलाओं के प्रतिनिधित्व को निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है। श्रीमती मीरा कुमार को 15वीं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है तथा उल्लेखनीय है कि 16वीं लोकसभा की भी महिला अध्यक्ष ही चुनी गयी तथा वर्तमान मे श्रीमती सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष है।[6]

लोकसभा मे महिलाओं की स्थिति

वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	महिला सदस्यों का प्रतिशत
1952	499	22	4.4
1957	500	27	5.4
1962	503	34	6.8
1967	523	31	5.9
1971	521	22	4.2
1977	544	19	3.3
1980	544	38	5.2
1984	544	44	8.1
1989	517	27	5.2
1991	544	39	7.2
1996	543	39	7.2
1998	543	43	7.9
1999	545	49	8.65
2004	539	44	8.16
2009	545	60	11.0
2014	545	61	11.3

स्त्रोत–भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

राज्यसभा में प्रतिनिधित्व

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद के उच्च सदन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी, जिनमें 238 सदस्य राज्यों व संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करेगा, 18 सितम्बर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार राज्यसभा में 28 महिला सदस्या के रूप में पदासीन है।[7]

विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में यदि श्रीमती ऐनी बेसेंट पदासीन रहीं तो स्वतंन्त्रता पश्चात् भारत में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में महिला मंत्री के रूप में सर्वप्रथम राजकुमारी अमृत कौर को स्थान मिला, वहीं मंत्रिपरिषद् में शीर्ष स्थान अर्थात प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्दिरा गांधी को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, श्रीमती गांधी इस प्रकार योजना आयोग की पहली

महिला अध्यक्ष बनीं, इन्होंने विश्व चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया तथा राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए।

शासन व्यवस्था में 'न्याय की सर्वोच्चता' इस अर्थ में भी है कि इसके अभाव में शासन संचालन व विकास–कार्य सब कुछ स्वेच्छाचारिता का अंग बन जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नारियों के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकने, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने आदि प्रमुख बिन्दुओं पर सफलता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका की उच्च सेवाओं से लेकर जिला–स्तरीय न्यायिक व्यवस्थाओं में महिला न्यायाधीशों की समुचित भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं की समस्याओं को गम्भीरता से सुनकर उन्हें न्याय दिलाने में बेहतर भूमिका निभा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय में महिला जज के रूप में सर्वप्रथम जस्टिस एम. फातिमा बीबी (जन्म–30 अप्रैल, 1927) 1989 में नियुक्त हुई थीं, केरल के पटथानमथिट्टा में जन्म लेने वाली मीरा साहिब की बेटी फातिमा ने 1958 में केरल सब आर्डीनेट न्यायिक सेवा में मुंसिफ के तौर पर सेवा प्राप्त की, 1974 में जिला सेशन जज तथा 1984 में हाईकोर्ट की स्थायी जज बनीं।

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद पर अनेक महिलाएं अपनी सेवा दे चुकी हैं, किन्तु अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हो पायी है, न्यायमूर्ति लीला सेठ को उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ है, ये 1992 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुई, 20 अक्टूबर, 1930 को लखनऊ में जन्मी न्यायमूर्ति लीला सेठ 1997 से 2000 तक भारत के 15वें विधि आयोग की सदस्या भी रहीं, इसी प्रकार मुम्बई उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुजाता बी. मनोहर ने अपनी सेवा देश को दी। न्यायमूर्ति (सुश्री) अन्नाचांडी केरल में न्यायाधीश के पद पर आसीन रहीं।

जहां तक भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का प्रश्न है तो इसका बीजारोपण भारतीय संविधान का निर्माण करते समय ही हो गया जब महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष मानते हुए उन्हें विधिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता प्रदान की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से उल्लेखनीय रूप से परिवर्तन आया 'महिलाओं का विकास' के मुद्दे का स्थान 'महिलाओं का सशक्तिकरण' ने ले लिया। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगर निकायों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाना इस दिशा में सर्वाधिक क्रान्तिकारी कदम था। 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ जिसके माध्यम से सदियों से पिछड़े, शोषित एवं उपेक्षित नारी वर्ग के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया तथा राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति 2001 घोषित की जिसके लक्ष्य निम्नलिखित थे।

1. महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सुजन करना।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपयोग करना।
3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी तथा निर्णय स्तर तक समान पहुंच।
4. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य की देखभाल, स्तरीय शिक्षा, जीविका तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुंच।
5. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।
6. पुरूषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैये और प्रथाओं में परिवर्तन।
7. विकास प्रक्रिया में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना।
8. महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभावों का उन्मूलन।
9. सिविल समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी बनाना तथा उनका सुदृढ़ीकरण, आदि।

भारत ने वैष्विक भावना के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए निम्नलिखित प्रावधानों को अंगीकार किया है–

1. महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का समापन कन्वेंषन (1993) को स्वीकार करना।
2. कार्यवाही हेतु मैक्सिको योजना (1975)
3. नैरोबी रणनीतियां (1985)
4. बीजिंग घोषणापत्र (1995)
5. 'बीजिंग घोषणा–पत्र एवं कार्यवाही हेतु प्लेटफार्म' पर आगे की पहल को नई दिशा देना।

भारत में 70 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। गांवों के विकास तथा प्रगति में महिलाओं के सबल हाथ इसके प्रतीक हैं, चाहे परिवार हो, खेत खलिहान का काम हो, सबमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं पुरूषों से अधिक काम करती हैं, सुबह उठकर चक्की चलाती हैं, मवेशियों का दूध निकालती हैं, गोबर उठाकर साफ–सफाई करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, खेतों में खाना पहुंचाती हैं तथा पशुओं के लिए चारा लेकर आती हैं, इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान झलकती है, भारतीय प्रजातंत्र में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका दिनोदिन

सशक्त होती जा रही है। लोक सभा, विधान सभा, और ग्राम पंचायतों के चुनावों में मतदान का सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का होता है या यह कहें कि सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण महिलाओं का होता है। ग्रामीण समाज के समुचित और सर्वांगीण विकास में महिलाओं का योगदान कभी भी कम नहीं रहा, परन्तु यह एक विडम्बना ही है कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा शायद ही कभी प्राप्त हुआ है, इस बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि ''भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, किन्तु आंसुओं की चिंता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, अपमान, शोषण से अवश्य डरती हैं ''दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्त्रियों की अवस्था में सुधार लाए बिना विश्व कल्याण असम्भव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्यसेन ने अपनी पुस्तक "India Economic Development and Social Opportunity" में लिखा है कि ''महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि पुरूषों और बच्चों को भी इससे लाभ होगा।''

सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जाग्रत करने से सम्बन्धित है पुरूष और महिला की सामाजिक स्थिति में अन्तर वैसे तो समूचे समाज में मौजूद है, किन्तु ग्रामीण समाज के हालत और बदतर है, शहरों में तो शिक्षा समाज सुधार आन्दोलन और प्रचार प्रसार माध्यमों के प्रभाव से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, परन्तु ग्रामीण समाज में औरतें परिवार और समाज के शोषण का शिकार हैं, लड़कियों का जन्म अभिशाप माना जाता है और कुछ समुदायों में तो पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है, लड़कों तथा लड़कियों के लालन–पालन में भेदभाव के कारण लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे वे बचपन में ही अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं या दुर्बलता के कारण अस्वस्थ रहती हैं, सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, नशा खोरी आदि के प्रभाव से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से दबी रहती है।

निष्कर्ष

गांवों में परिवार की आय में आधे से अधिक का भाग महिलाओं का रहता है, परन्तु उनके द्वारा किए गए काम को आर्थिक गतिविधि मानने के बजाय सामान्य पारिवारिक दायित्व समझा जाता है, चौका चूल्हा बर्तन और बच्चों को पालने के साथ–साथ ग्रामीण बालिकाएं होश संभालने के समय से ही पशुपालन, ईंधन बटोरने, पानी लाने, खेत–खलिहान में काम करने लगती हैं और जीवनपर्यनत करती रहती हैं, परन्तु इन सभी कामों को व्यवसाय के बजाय पारिवारिक कार्यों के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि पुरूष द्वारा किए जाने वालें कार्यों को व्यवसाय माना जाता है, बुआई से लेकर कटाई तक खेती–बाड़ी के सारे कार्यों में बराबर की भागीदारी होने पर भी महिलाओं को किसानों का दर्जा प्राप्त नहीं है, उन्हें वेतन रहित श्रमिक ही माना गया है, यह विडम्बना है कि काम धंधों में सतत् सक्रिय रहने पर भी महिलाएं आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया पराश्रित हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *वंदना सिंह, ''नारी सशक्तिकरण–दशा एवं दिशा'', प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2006*
2. *वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली*
3. *राजहंस, प्रतिभा (2005), नारी सशक्तिकरण (पृ0 300–04) वर्मा, सवलिया बिहारी, एम एल सोनी, संजीव गुप्ता, ''महिला जागृति और सशक्तीकरण'', आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर*
4. *श्रीवास्तव, सुरेश लाल, भारतीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, प्रतियोगिता दर्पण, मई 2008*
5. *वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली*
6. *लोकसभा सचिवालय वेबसाईट (http://loksabha.nic.in)*
7. *लोकसभा सचिवालय वेबसाईट*